तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2003 / 11997 / जयपुर सूरजभान वगैरह बनाम लादूराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
21-01-2025	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** ——— **आदेश** अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। गत पेशी पर अधिवक्ता उभय पक्षों को निगरानी के गुणावगुण पर सुना गया। पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा–230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुचित एवं अवैध रूप से प्रार्थी चन्दा, बंशी व सूरजा को अंतर्गत आदेश 39(2) सीपीसी के गिरफतारी के आदेश पारित किये गये। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी वादीगण ने प्रार्थी के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मय अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली ने एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03–04–2002 को जारी की। तत्पश्चात् दिनांक 18–08–2003 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट किया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने दिनांक 29–8–2003 को राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने के आदेश पारित हो चुके है। अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–8–2003 को एक अवमानना याचिका अंतर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसका जवाब भी प्रार्थीगण ने प्रस्तुत कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त याचिका का निस्तारण गुणावगुण पर किये बिना ही दिनांक 06–10–2003 को प्रार्थी चन्दा, सूरज व बंशी के गिरफतारी आदेश तथा शेष प्रार्थीगण के जमानती वारण्ट के आदेश पारित कर दिये जो कि एक अनुचित, परवर्स एवं क्षैत्राधिकार विहिन आदेश है। प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के किसी भी आदेश की अवमानना नहीं की है, जबकि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण ही काबिज है एवं सिविल न्यायाधीश में प्रार्थीगण की संपत्ति पर यथास्थिति के आदेश तक जारी है, किन्तु उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए योग्य विचारण न्यायालय ने नादिरशाही तरीके से विधि विरूद्ध प्रार्थीगण को गिरफतार किये जाने का आदेश पारित करते हुए एक प्रकार से प्रार्थीगण को उनके साधिकार कब्जे से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया। अंत में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित क्षैत्राधिकार विहिन आदेश दिनांक 06–10–2003 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त कथनों का खण्डन करते हुए प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण लादूराम वगैरह ने प्रार्थीगण बंशीधर वगैरह के विरूद्ध न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 18–8–2003 की अवमानना बाबत् एक याचिका पेश की गई, जो कि विचाराधीन है। इसी के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2003 / 11997 / जयपुर सूरजभान वगैरह बनाम लादूराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	151 सीपीसी बाबत् पुलिस इमदाद हेतु भी विचाराधीन है, जिसमें योग्य विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 16–10–2003 के माध्यम से प्रार्थी बंशी, सूरज व चंदा के द्वारा स्थगन आदेश की पालना करने हेतु अण्डर टेकिंग चाही गई, जिसकी पालना नहीं करने पर इन्हें गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त आक्षेपित आदेश धारा–151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में पारित किया गया है तथा अवमानना याचिका विचाराधीन है, जिसमें योग्य विचारण न्यायालय को साक्ष्य के उपरांत यह तय करना होगा कि प्रार्थीगण द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है अथवा नहीं, किन्तु इसके दरमियान ही धारा–151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश की पालना नहीं करने की उपधारणा करते हुए उन्हें गिरफतारी वारण्ट से तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि बिना साक्ष्य के प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं मानी जा सकती, जबकि उक्त बिन्दु मूल अवमानना याचिका में ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धारा–151 सीपीसी बाबत् पुलिस इमदाद के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06–10–2003 किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत आदेश नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर, योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2003 अपास्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 21 / 01 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (पुरूषोत्तम लाल सैनी) सदस्य	